

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) वधियक-2023 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

17 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) वधियक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनमित से पारति कर दिया गया। इस वधियक के माध्यम से स्क्रीनिंग कर पात्र अस्थायी अध्यापकों को नियमति कथिा जा सकेगा।

प्रमुख बडि

- वदिति है कि इससे पूर्व वर्ष 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) अध्यादेश लाया गया था। बाद में इस अध्यादेश का प्रतस्थापक वधियक विधानसभा में पारति कराया गया।
- इस अध्यादेश एवं अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत 300 से अधिक शकिषकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर संबंधति विश्वविद्यालयों की सेवा में स्थायी कथिा गया था।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 से पूर्व विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ अस्थायी शकिषक/योग प्रशकिषक 2008 के अध्यादेश में कवर होने से रह गए। अतः राज्य सरकार ने ऐसे शकिषकों एवं योग प्रशकिषकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर स्थायी कथिा जाने का नरिणय लथिा है।
- इसके लथिा 2008 के आमेलन अधिनियम में अस्थायी शकिषक की परभाषा को संशोधति करने व मूल अधिनियम के द्वारा आमेलन हेतु नरिधारति 180 दविस की अवधति में छूट देते हुए राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) (संशोधन) वधियक-2023 लाया गया है।



